न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी :— प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

दिनांक 04.12.2025

प्रकरण संख्या :— 20/2022 ई.रे.

1. बाबु खां पुत्र स्व. रमजान खां मुसलमान निवासी पुनावली रोड निकुंभ तहसील बड़ीसादड़ी
2. गरीब खां पुत्र स्व. रमजान खां मुसलमान निवासी पुराने पेच के पास निकुंभ तहसील बडीसादड़ी

बनाम

1. अफसाना बी पुत्री अजीज खां मुसलमान निवासी कसाई मोहल्ला, निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा
2. अमजद खां पुत्र स्व. अजीज खां मुसलमान निवासी कसाई मोहल्ला, निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा
3. मोहम्मद हनीफ खां पुत्र स्व. अजीज खां मुसलमान निवासी कसाई मोहल्ला निम्बाहेड़ा
4. रूकसार पुत्री स्व. अजीज खां मुसलमान पत्नी युनुफ अली निवासी मोहर मंगरी, चित्तौड़गढ
5. शाहिन पुत्री स्व. अजीज खां मुसलमान पत्नी सिकन्दर खां निवासी गांधीनगर सेक्टर नं. 5 चितोडगढ़
6. गफार खां पुत्र स्व. अजीम खां मुसलमान निवासी पुराने पेच के पास निकुंभ तहसील बडीसादड़ी
7. रसीद खां पुत्र स्व. अजीम खां मुसलमान निवासी पुराने पेच के पास निकुंभ तहसील बड़ीसादड़ी
8. लाली पुत्री स्व. हसन खां मुसलमान पत्नी पप्पु खां निवासी रजा कालोनी निम्बाहेड़ा
9. बिबि पुत्री स्व हसन खां मुसलमान पत्नी मुबारिक खां निवासी नपावली तहसील भेदसर
10. छोटी बेगम पुत्री स्व हसन खां मुसलमान पत्नी फिरोज खां निवासी पुराने पेच के पास बघाना निमच
11. रजिया पुत्री स्व हसन खां मुसलमान निवासी रजा कालोनी निम्बाहेड़ा
12. मुराद खां पुत्र हसन खां मुसलमान निवासी रजा कालोनी निम्बाहेड़ा
13. दिलशाद खां पुत्र स्व. हसन खां मुसलमान निवासी रजा कालोनी निम्बाहेड़ा
14. छब्बु खां पुत्र स्व. हसन खां मुसलमान निवासी रजा कालोनी निम्बाहेड़ा
15. आबिद खां पुत्र गफार खां मुसलमान निवासी पुराने पेच के पास निकुंभ तहसील बड़ीसादड़ी
16. शोकिन खां पुत्र गफार खां मुसलमान निवासी पुराने पेच के पास निकुंभ तहसील बड़ीसादड़ी
17. अयुब खां पुत्र गफार खां मुसलमान निवासी पुराने पेच के पास निकुंभ तहसील बड़ीसादड़ी
18. तहसीलदार एवं उप पंजीयक बड़ीसादड़ी
19. उप पंजीयक निकुंभ उप तहसील कार्यालय निकुंभ

<u>प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित— श्री पंकज मेहता वकील प्रार्थीगण
श्री एल.एस. झाला वकील विपक्षीगण

—:: निर्णय::—

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:21:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि —

1. प्रार्थीगण ने उक्त अनवान का एक वाद श्रीमान न्यायालय में पेश कर दिया है उक्त वाद सुदृढ तथ्यों पर आधारित होने से निश्चित रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में पारित होगा लेकिन उक्त वाद के निर्णय होने में समय लगने की पुर्ण सम्भावना है।

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

2. मोजा निकुंभ पटवार हल्का निकुंभ तहसील बड़सादड़ी में खाता संख्या 641 की आराजी नं. 1170 रकबा 0.7300 है आराजी नं. 1171 रकबा 0.8900 है आराजी नं. 1172 रकबा 0.1700 है कुल किता 3 कुल रकबा 1.7000 हैक्टैयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी को प्रार्थना पत्र में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।
3. मोजा निकुंभ पटवार हल्का निकुंभ तहसील बड़ीसादड़ी में खाता संख्या 1014 की आराजी नं. 1168 रकबा 0.9100 है कुल किता 1 कुल रकबा 0.9100 हैक्टैयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी को प्रार्थना पत्र में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।
4. मोजा निकुंभ पटवार हल्का निकुंभ तहसील बडीसादड़ी में खाता संख्या 642 की आराजी नं. 1166 रकबा 0.0200 है गे.मु.चाह आराजी नं. 1167 रकबा 0.0500 है। आराजी नं. 1169 रकबा 0.6100 है कुल किता 3 कुल रकबा 0.6800 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात को प्रार्थना पत्र में आगे वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।
5. उक्त कृषि भूमी हालिया सेटलमेन्ट से पुर्व आराजी सं. 756, 757/1, 757/2, 770/1, 770/2, 771, 780/1, 780/2 कुल किता आठ कुल रकबा तेइस बिघा नौ बिस्वा के रूप में परिवार के मुल पुरूष अजीम खां पिता शमशेर खां की खातेदारी में दर्ज रही है। जिसमें से आराजी सं. 780/1 व 780/2 कुल रकबा 7 बिघा 6 बिस्वा भूमि राधु पुत्र घासी माली को सन 1974-1976 में विक्रय कर दी गई । यह विक्रय अजीम खां के पुत्र अजीज खां हसन खां रसीद खां द्वारा किया गया तथा प्रतिफल राशी भी इन्होने ही प्राप्त की हैं। चुंकि खातेदार पिता अजीम खां थे जिनसे बिकाव कराया गया था यह अभिस्विकृति स्वयं मुल खातेदार अजीम खां ने दिनांक 14.6.1990 को निष्पादित पारिवारिक समझौते में की हुई है। इसी प्रकार अजीज खां ने कुछ और भूमि का बिकाव वर्ष 2007 में आबिद खां का कर दिया आराजी सं. 757/1, 756, 752/2 में से अपना सम्पुर्ण हिस्सा हसन खां ने शोकिन खां को वर्ष 2006 में विक्रय कर दिया , इस प्रकार परिवार मे वादीगण के पिता स्व. रमजान खां का हिस्सा व आधिपत्य अप्रभावित रहा है। क्योंकि रमजान खां द्वारा आज तक कोई बिकाव अपने हिस्से की भूमी का नही किया गया है। इसके विपरित रमजान खां जी ने शेष भाई हसन खां अजीज खां रसीद खां गफार खां समय समय पर अपने हिस्से में से भूमि विक्रय करते रहे है। राजस्व अभिलेख में इसी अनुसार अन्य भाई जिन्होंने बिकाव किये अनका हिस्सा कम होना चाहिए था किन्तु सभी भाईयों का 1/5 हक हिस्सा दर्ज रहने से अन्य भाई जिनका हक हिस्सा ही शेष नही रहा या कम हो चुका है। अव अपने नुमाइशी हक हिस्से के आधार पर वादग्रस्त आराजी को विक्रय हस्तांतरित करने पर आमादा है। इस कारण यह वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।
6. उक्त भूमी का पुर्व खाता 23 बिघा 9 बिस्वा का था जो पुर्व वर्णित बिकाव के उपरान्त 16 बिघा 3 बिस्वा का रह गया जिसमें से भी हसन खां व अजीज खां ने और भूमियों का हिस्सा विक्रय कर दिया है। मुल खाता उक्त भूमि का 23 बिघा 9 बिस्वा रकबे का होने से प्रार्थीगण अपने स्व. पिता के 1/5 हक हिस्से अनुसार कुल 4 बिघा 13 बिस्वा यानि करिब पोने पांच बिघा भूमी के आधिपत्य मे है तथा यह स्थिति पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से कायम है। इस आधिपत्य से पुरा परिवार परिचित है। तथा पारिवारिक समझौते में भी पुष्टी की गई है। प्रार्थीगण स्व. रमजान खां के विधिक वारिसान है। एवं उनकी चल अचल सम्पतियों पर काबिज है। स्व. अजीज खां व हसन खां का परिवार कई वर्षों से निकुभ छोड कर निम्बाहेडा निवास कर रहा है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में वास्तविक हक हिस्से अनुसार खातेदारी दर्ज नही होने से तथा मृतकों के नाम पर भी नुमाईशी खातेदारी दर्ज रहने से प्रार्थीगण के हक अधिकारों को चुनोती प्राप्त हो रही है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमी में से कूल 4 बिघा 13 बिस्वा भूमी 1/5 हक हिस्से अनुसार व मौके पर कब्जा अनुसार (स्व. रमजान खां की विरासत से) प्रार्थीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है।
7. वादग्रस्त भूमियों में वर्णित बिकाव के पहले के स्थिति [illegible] र नाम व खातेदारी दर्ज रहने से विपक्षीगण अव प्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाते हुए भूमी [illegible] अंश को विक्रय करने पर अमादा है जवकि जो हिस्सा विपक्षी सं. 1 से 5 (अजीज खां के वा[illegible]) विपक्षी सं. 8 से 14 (हसन खां के वारिसान) विपक्षी सं. 6 गफार खां विपक्षी सं. 7 रसीद खां के नाम पर दर्ज है उतना उनका मौके पर हक हिस्सा शेष ही नही है ना ही आधिपत्य है। मौके पर [illegible] की स्थिति को परिवर्तीत करते हुए व

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:21:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
वड़ीसादड़ी

अन्य सह खातेदारान के हक हिस्से हो प्रभावित कर हस्तांतरित कर देने पर प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी इस कारण वादग्रस्त भूमि का मौके पर कब्जा अनुसार विभाजन होने से पूर्व विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना आवश्यक है कि वादग्रस्त भूमी को विक्रय हस्तांतरित नही करे ना करावे मौके व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाए रखे।

8. विपक्षी कमांक 8 से 14 के पिता हसन खां ने वादग्रस्त आराजीयात में उनका सम्पुर्ण हिस्सा पुर्व में ही विक्रय कर दिया है। 3 बिघा 7 बिस्वा भूमी राधु पिता घासी माली को विक्रय की एवं 1 बिघा 14 बिस्वा भूमी विपक्षी कमांक 17 शोकिन खां को विक्रय कर दी इस प्रकार हसन खां द्वारा उनका सम्पुर्ण हिस्सा पुर्व में ही विक्रय कर दिये जाने से राजस्व रिकार्ड से हसन खां का नाम हटाया जाना न्यायसंगत है। अन्य विपक्षीगण द्वारा भी जो हिस्सा विक्रय कर दिया गया है उसे कुल रकबे में से कम किया जावें। सह खातेदार शांहजंहा बी पत्नी अजीज खां की मृत्यु हो चुकी है उनके वारिसान रिकार्ड पर है खाता खं 642 व 1041 में हसन खां पिता अजीज खां नाम दर्ज है जो त्रुटीवश है क्योंकि वास्तविक नाम हसन खां पिता अजीम खां है। इसी प्रकार इन्हीं खाता सं. में गफार खां पिता अजीज खां व रसीद खां पिता अजीज खां नाम दर्ज है जो त्रुटीवश है क्योकि वास्तविक नाम गफार खां पिता अजीम खां व रसीद खां पिता अजीम खां है।

9. प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात पर अपने हक हिस्से की भूमी पोने पांच विघा पर शान्ति पुर्वक काविज होकर काश्त करते चले आ रहे है। विपक्षीगण प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजीयात से वेदखल करने की धमकियां दे रहे है। एवं विपक्षीगण प्रार्थीगण को अनुचित एवं अवैध नुकसान पहुचाने की गरज से वादग्रस्त आराजीयात को हस्तानतरण करने पर अमादा है अतः विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना अत्यन्त आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं कि वादग्रस्त आराजी को किसी तरह से विक्रय रहन,वय, वक्षीश नही करे न करावे किसी तरह से हस्तान्तरित नही करें न करावे। राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिती बनाये रखे एवं वादग्रस्त आरीजयात पर वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करे न करावे, वादीगण को शान्ति पुर्वक काविज करने देवे। विपक्षी संख्या 20, 21 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि जब तक वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज नही हो जावे तब तक वादग्रस्त आराजीयात बाबत कोई पंजीयन नही करे न करावे राजस्व रिकार्ड कि यथास्थिति बनाये रखे।

10. प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केश प्रमाणित हैं प्रार्थीगण पोने पांच विघा भूमी वादग्रस्त आराजीयात पर शान्ति पुर्वक काविज होकर काश्त करता चले आ रहे है। सुविधा सन्तुलन एवं अपुर्तनिय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीवध्स के पक्ष में हैं क्योंकि विपक्षीगण ने वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कर वादग्रस्त आराजीयात को हस्तान्तरित कर दी तो प्रार्थीगण को भारी क्षति कारित होगी अतः विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे की वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण को शान्ति पुर्वक काबिज रहने देवे किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे न करावे, एवं वादग्रस्त आराजीयात को विक्रय रहन वय वक्षीस या अन्य किसी तरह से हस्तान्तरित नहीं करें , न करावें, राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिती बनाये रखे। विपक्षी संख्या 20 व 21 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि मुल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी बाबत कोई पंजीयन नहीं करे न करावें।

उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का जवाब विपक्षीगण कमांक छ लगायत सात गफ्फार खां रसीद खां व कमांक सौलह लगायत अठ्ठारह आबिद खां, शोकिन खां, अयुब खां की ओर से निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

1. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या एक में प्रार्थीगण द्वारा [illegible] प्रस्तुत किये जाने के तथ्य स्वीकार है।
2. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या दो [illegible] आराजीयात मौजा निकुंभ तहसील बड़ीसादड़ी में स्थित होने के तथ्य सही होकर स्वीकार [illegible] बाकी तथ्य अस्वीकार हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:21:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

3. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या पांच मे वर्णित तथ्य की उक्त कृषि भुमि हालिया सेटलमेन्ट से पुर्व आराजी संख्या 756, 757/1, 757/2, 770/1, 770/2, 771, 780/1, 780/2 कुल किता 8 कुल रकबा 23 बीघा 9 बिस्वा के रूप में हमारे मुल पुरुष अजीम खां पिता शमशेर खां जी के खातेदारी में दर्ज होने के तथ्य सही होकर स्वीकार है। शेष तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। यह तथ्य गलत है कि राधु पुत्र घासी माली को जो विक्रय किया गया वह अजीज खां हसन खां व रसीद खां के कहने से किया गया हो व प्रतिफल की राशी भी इनके द्वारा कोई लिखापडी 14.06.1990 को लिखी गयी हो वह जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। यह तथ्य भी गलत हैं कि रमजान खां के शेष भाई हसन खां अजीज खां रसीद खां व गफ्फार खां ने समय समय पर अपनी भूमि के हिस्से में से विक्रय किया हो। यह कहना भी गलत है कि राजस्व रिकार्ड में इनका हिस्सा कम दर्ज होना चाहिये। वर्तमान में जो राजस्व रिकार्ड की स्थिति है वह सही है और राजस्व रिकार्ड की स्थिति के अनुसार ही वादी व प्रतिवादीगण काबिज काश्त है।

4. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या छह में वर्णित तथ्य उक्त भुमि का पुर्व खाता 23 बीघा 9 बिस्वा होना स्वीकार है लेकिन यह तथ्य अस्वीकार है कि प्रार्थीगण अपने पिता के 1/5 हिस्से (मुल खाते के अनुसार) 4 बीघा 13 बिस्वा के अधिकारी हो और इसी अनुसार उपयोग उपभोग कर रहे हों। उक्त सभी तथ्य प्रार्थीगण ने नाजायज सदोष लाभ प्राप्त करने के लिये अंकित किये हैं तथा मुस्लिम विधी के अनुसार अजीम खां जी की सम्पदा स्वयं की सम्पदा थी जिसमें से पारिवारिक आवश्यकता की पुर्ति के लिये कुछ हिस्सा विक्रय किया था जो हमारे मुल पुरूष अजीम खां जी को विक्रय करने का अधिकार था तथा अजीम खां जी की मृत्यु के पश्चात जो इन्तकाल खुला उसी अनुसार अजीम खां जी के पांचों पुत्र व दो पुत्रियों के नाम से खुला। पुत्रियों द्वारा बाद में हकत्याग कर दिया गया तथा वर्तमान में जो हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसी के अनुसार प्रार्थी व विपक्षीगण काबिज काश्त है।

5. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या सात में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है विपक्षीगण भी उक्त आराजी में रिकार्ड खातेदार है। प्रार्थीगण विपक्षीगण को पाबन्द कराने के अधिकारी नहीं है।

6. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या आठ मे वर्णित हसन खां द्वारा अपना सम्पुर्ण हिस्सा विक्रय करने के तथ्य गलत होकर अस्वीकार है वादीगण न्यायालय को गुमराह कर रहे है। अजीम खां जी द्वारा जो भुमि विक्रय की गयी थी उसे हसन खां द्वारा विक्रय करना बताया जा रहा है जो सरासर गलत है।

7. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या नौ मे वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। यह तथ्य गलत है कि पौने पांच बीघा पर प्रार्थिगण काबिज हो बल्कि राजस्व रिकार्ड कीय वर्तमान स्थिति के अनुसार ही प्रार्थीगण व विपक्षीगण काबिज हैं तथा विपक्षी शोकिन खां ने जो भुमि क्रय की है उस पर शोकिन खां काबिज है।

8. यह कि तथ्य गलत है कि प्रार्थीगण का विपक्षीगण की खातेदारी से अधिक हिस्सा बनता हो तथा प्रार्थीगण को विपक्षीगण के खातेदारी में से अधिक हिस्सा प्राप्त करने का कोई हक अधिकार हो तथा प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन अपुरणीय क्षति का सिद्धान्त विपक्षीगण के पक्ष में है व रिकार्ड खातेदार को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता तथा अजीम खां जी की मृत्यु के पश्चात जो इन्तकाल खुला वह सही था तथा उसी अनुसार प्रार्थीगण व विपक्षीगण काबिज काश्त है।

विशेष कथन

1– प्रार्थी द्वारा जिस दस्तावेज के आधार पर वाद व कार्यवाही प्रस्तुत की हैं वह अपंजीकृत दस्तावेज व अमुद्रंकित दस्तावेज होकर साक्ष्य में स्वीकार योग्य नही होकर उक्त दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

2– प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा की दाद चाही गयी है जो किसी प्रकार से नही दी जा सकती हैं। तथा प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:21:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

वकील उभयपक्ष की बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को प्रमाणित करना होता है :–

1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– <u>प्रथम दृष्टया मामला</u>

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि वाद ग्रस्त आराजीयात अनरजिस्ट्रर्ड स्टाम्प पर है। तथा प्रार्थीगण खातेदार नहीं है। विपक्षीगण रिकार्डेड खातेदार हैं जिसको अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है।

2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–

चूंकि वादग्रस्त आराजीयात अपंजीकृत दस्तावेज व अमुद्रंकित दस्तावेज की है। जिससे प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टिया केश प्रमाणित नहीं है । तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है । विपक्षीगण खातेदार काश्तकार है जिसको जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द नहीं किया जा सकता। अतः अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है । अतः तीनो ही तात्विक विन्दुओं को प्रार्थीगण सावित करने में असफल रहा है।

–:आदेश:–

पत्रावली का अवलोकन करने पर जाहिर हुआ कि प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति व असुविधा नहीं हो रही है बल्कि विपक्षीगण रिर्कोडेड खातेदार काश्तकार हैं । अगर इनको अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है तो अपूरणीय क्षति व असुविधा विपक्षीगण को हो सकती है। इस प्रकार दोनो विन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किये जाते है। तीनो की तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थीगण सावित करने में असफल रहने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत किये जाने से अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. का सारहीन होने से खारिज किया जाता है।
यह आदेश आज दिनांक 04.12.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:21:12 IST
Reason: SelfAttested